

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2013/पौष 10, 1935

No. 635] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2013/PAUSHA 10, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 4 अक्टूबर, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा

प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पन्द्रहवां संशोधन) विनियमावली, 2013

सा. का. नि. 818 (अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पन्द्रहवां संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू माने जायेंगे।

2. विनियम 7 में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में, विनियम 7 में, उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित अंश जोड़ा जाएगा, अर्थात :-

"(2) जहाँ भारतीय कंपनी के लिए वितरण प्रबंध योजना (Scheme of Arrangement) भारत स्थित किसी न्यायालय द्वारा अनुमोदित की गयी हो, वहाँ भारतीय कंपनी भारत से बाहर के निवासी शेयरधारकों को सामान्य आरक्षित निधि में से बोनस के वितरण के रूप में अपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर अथवा डिबेंचर, निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत, जारी कर सकती है, अर्थातः

- ए) भारतीय कंपनी के शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों का (30 अप्रैल 2007 को या उस तारीख तक जारी किए गए अपरिवर्तनीय/वैकल्पिक परिवर्तनीय/आंशिक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों तथा 7 जून 2007 तक तत्कालीन लागू दिशा निर्देशों के अंतर्गत तथा एफडीआई अनुरूप दस्तावेज़ के अनुसार पात्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत वैकल्पिक परिवर्तनीय/आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों सहित) मूल अर्जन अनिवासी शेयरधारकों को अपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों अथवा बोनस के वितरण के रूप में डिबेंचरों को रखने के लिए हकदार बनाता हो जो इन विनियमों और संबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार हो;
- बी) कंपनी अधिनियम के लागू उपबंधों के अनुसार और भारत में किसी न्यायालय द्वारा अनुमोदित योजना में विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो, का पालन किया गया हो;
- सी) भारतीय कंपनी अथवा अंतरिती कंपनी अथवा नयी कंपनी को आयकर प्राधिकारी से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त हो; और
- डी) भारतीय कंपनी इस विनियमावली की अनुसूची 1 के संलग्नक ए में उल्लिखित गतिविधि/ क्षेत्र में संलग्न नहीं होगी।"

[सं.फेमा.291/2013-आरबी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

फुट नोट: प्रमुख नियमन शासकीय राजपत्र द्वारा जीएसआर संख्या. 406(ई) दिनांक 8 मई, 2000 भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया और बाद में निम्नानुसार संशोधित किया गया:

सा. का. नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001	सा. का. नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
सा. का. नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001	सा. का. नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
सा. का. नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001	सा. का. नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
सा. का. नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002	सा. का. नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
सा. का. नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002	सा. का. नि. सं. 341 (अ) दिनांक 21.04.2010
सा. का. नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003	सा. का. नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
सा. का. नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003	सा. का. नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
सा. का. नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003	सा. का. नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
सा. का. नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003	सा. का. नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
सा. का. नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003	सा. का. नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
सा. का. नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004	सा. का. नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
सा. का. नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004	सा. का. नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
सा. का. नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004	सा. का. नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
सा. का. नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004	सा. का. नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
सा. का. नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004	सा. का. नि. सं. 532 (अ) दिनांक 05.08.2013
सा. का. नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005	सा. का. नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
सा. का. नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005	सा. का. नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
सा. का. नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005	सा. का. नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
सा. का. नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005	सा. का. नि. सं. 393 (अ) दिनांक 21.06.2013
सा. का. नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005	सा. का. नि. सं. 591 (अ) दिनांक 04.09.2013
सा. का. नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005	सा. का. नि. सं. 596 (अ) दिनांक 06.09.2013
सा. का. नि. सं. 29 (अ) दिनांक 19.01.2006	सा. का. नि. सं. 597 (अ) दिनांक 06.09.2013
सा. का. नि. सं. 413 (अ) दिनांक 11.07.2006	सा. का. नि. सं. 681 (अ) दिनांक 11.10.2013
सा. का. नि. सं. 712 (अ) दिनांक 14.11.2007	सा. का. नि. सं. 682 (अ) दिनांक 11.10.2013
सा. का. नि. सं. 713 (अ) दिनांक 14.11.2007	

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th October, 2013

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India)
(Fifteenth Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 818 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), namely:-

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Fifteenth Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation 7 :

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Regulation 7, after sub-regulation (1), the following shall be inserted, namely:-

“(2) Where a Scheme of Arrangement for an Indian company has been approved by a Court in India, the Indian company may issue non-convertible redeemable preference shares or debentures out of its general reserves by way of distribution as bonus to the shareholders resident outside India, subject to the following conditions, namely:

- a) the original acquisition of shares / convertible debentures (including non-convertible/ optionally convertible / partially convertible preference shares issued as on and up to April 30, 2007 and optionally convertible / partially convertible debentures issued up to June 7, 2007 under Foreign Direct Investment Scheme and treated as eligible (FDI) compliant instruments under the then applicable guidelines) of the Indian company by non-resident shareholders entitling them to hold non-convertible redeemable preference shares or debentures is in accordance with these Regulations and the conditions specified in the relevant Schedule;
- b) in accordance with the provisions of the Companies Act, as applicable and the terms and conditions, if any, stipulated in the scheme approved by the Court in India have been complied with;
- c) the Indian company or transferee company or a new company has a ‘No objection certificate’ from Income Tax authority ; and
- d) the Indian company shall not engage in any activity/sector mentioned in Annex A to Schedule 1 to these Regulations.”

[No.FEMA. 291/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R.No.821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R. No.945(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007	